आवंटन
अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010400

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण–वितरण अधिकारी,
आगरा, वाराणसी तथा आजमगढ़।

संख्या– 1/ 76 /2021–1/09/2021 : लखनऊः दिनांक 13 जुलाई, 2021

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–04– मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–28/2021/791/33–3–2021–791/2021 दिनांक 08.04.2021 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रू0–13,27,392/–**(रूपया तेरह लाख सत्ताइस हजार तीन सौ बानबे मात्र)** धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3/2021/बी–1–375/दस–2021–231/2021 दिनांक 22.03.2021 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
6. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि के कोषागार से आहरण की फेजिंग का स्वीकृति आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा, जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेषों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवष्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/2018–मित0–1 /2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. निवर्तन पर रखी जा रही धनराषि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0–13 पर लेखाषीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवष्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराषि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–04–मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

12. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

13. बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

14. यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

16. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।

17. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें–

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2021–22 मेंयदि कोई धनराषि अवशेष हो तो उसे दिनांक 10.03.2022 तक निदेशालय को समर्पण करना सुनिष्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–104 पर अंकित है।

<u>संलग्नक उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया,

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/76 /2021 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2021-2022
आवंटन दिनांक-13/07/2021

प्रेषण संख्या:- 1-76-2021-1-09-2021
आवंटन आदेश संख्या:- 003-1-09-2021
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	49-चिकित्सा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 295516	0 50237	0 0	57758 57758	0 24705	57758 428216
2	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 974400	0 165648	216000 216000	0 0	0 81459	216000 1437507
3	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	812535 1082400	218299 264176	0 0	0 0	22800 45360	1053634 1391936
	योग	वर्तमान प्रगामी	812535 2352316	218299 480061	216000 216000	57758 57758	22800 151524	1327392 3257659

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तेरह लाख सत्ताइस हजार तीन सौ बानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बत्तीस लाख सत्तावन हजार छ: सौ उनसठ

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी

②